फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

मुकेश राव पिता श्यामसिंह जाति मराठा निवासी पाल खेड़ी, तहसील डूंगला वगैरा

बनाम

ऊँकार सिंह मृत्तक के बजाएः–गोपाल राव पिता ऊँकार सिंह मराठा निवासी पाल खेड़ी, तहसील डूंगला वगैरा

प्रकरण संख्या 40/2022 (रा.प्रा.पत्र)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.12.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। विपक्षी संख्या 1/1 के कायम मुकाम की कार्यवाही शेष है। अधिवक्ता प्रार्थीगण मृत्तक विपक्षी संख्या 1/1 के कायम मुकाम हेतु आज भी अवसर चाहते हैं चूंकि विपक्षी संख्या 1/1 की मृत्यु की सूचना अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा दिनांक 28.08.2024 को प्रस्तुत करने पर उसी दिवस अधिवक्ता प्रार्थीगण को भी सूचित/नोटेड़ कर विपक्षी संख्या 1/1 के कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। अधिवक्ता प्रार्थीगण को मृत्तक विपक्षी संख्या 1/1 के कायम मुकाम हेतु पर्याप्त अवसर दिए गए तथा पेशी दिनांक 07.11.2025 पर अंतिम अवसर भी दिया जा चुका है तथा पेशी दिनांक 21.11.2025 पर न्यायहित में अंतिम अवसर देने के बाद भी एक अतिरिक्त अवसर ओर प्रदान किया गया उसके पश्चात् भी अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गई है तथा आज और अवसर चाहा जा रहा है। चूंकि कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु 90 दिवस की अवधि निर्धारित है फिर भी अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा लगभग 01 वर्ष 04 माह की अवधि व्यतीत होने के बाद भी कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की है। अतः अब प्रार्थना पत्र अबेटमेंट में खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा की आवंटन पत्रावली मय निर्णय की प्रति के प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	